पोषण एवं स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं को सुविधाएँ, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

सुप्रिया

सारांशः—पूरे विश्व में स्वस्थ जीवन, दीर्घ आयु तथा इसके लिए जरूरी स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं को विकास का मापदण्ड माना गया है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने यह प्रमाणित किया है कि स्वास्थ्य पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। किसी भी देश के विकास के लिए वहां के मानव का शारीरिक एवं मानिसक स्वास्थ्य आवश्यक है अर्थात् किसी भी राष्ट्र के सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने नागरिकों के लिए सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में यह भी कहा गया है कि अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का मूल अधिकार हैं। इस विषय पर जाति, धर्म, राजनीति, विश्वास, धार्मिकता सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव न ही किया जा सकता।

स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकारते हुए कहा गया है कि समस्त प्रकार के संसाधनों का भरपूर उपयोग तभी संभव हैं जब आम आदमी के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। स्वास्थ्य समाज के निर्माण की सार्वभौमिक परिकल्पना भी इसी मत की पुष्टि करती हैं। इन्हीं समस्त पहलुओं के अध्ययन के लिए आयुर्विज्ञान के समाजशास्त्र का निर्माण हुआ।